न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमिता मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
11 / 30 / 2024	अपील इंतकाल	21.11.2024	03.10.2025

उनवान प्रकरण :–

1. नानकचन्द पुत्र स्व. श्री मातादीन,
2. राजेश पुत्र स्व. श्री मातादीन
3. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री मातादीन समचवद
4. कमला देवी पत्नी स्व. श्री मातादीन
   जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम खिदरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा
5. रोशनी पुत्री स्व. श्री मातादीन, पत्नी श्री रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी ग्राम खिदरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान) हाल केशरपुर बुर्जा तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)

:–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)
2. मनजीत पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल
3. हितेश पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल
4. पायल पुत्री स्व. श्री सुन्दरलाल
5. सुमन देवी पत्नी स्व. श्री सुन्दरलाल जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम खिदरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

:–रेस्पोडेन्टस

अपील विरासत इन्तकाल सं0 2387 प्रविष्टि दिनांक 17-06-2024 दर्ज दो स्वीकार दिनांक 28-08-2024 वाके ग्राम खिदरपुर तहसील टपूकडा आदेश श्रीमान तहसीलदार टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा के विरूद्ध पेश की जा रही है कि जिसमें असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा स्व. मातादीन पुत्र भीवा की विरासत का इंतकाल रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के नाम गलत रूप से दर्ज किया है, को निरस्त किया जाकर स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट्स।

उपस्थित :

1. श्री उदयराम सिरोलिया एडवोकेट :– वकील अपीलान्टान
2. श्री रविन्द्र एडवोकेट :– वकील रेस्पोडेन्टान

–: **निर्णय** :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 28-08-2024 बाबत इंतकाल सं. 2387 के विरूद्ध पेश की

जा रही है, जिसकी जानकारी हम अपीलान्ट्स को दिनांक 22-10-2024 को तब हुई जब हम अपीलान्ट्स ने रहनमुक्त का नामांतरकरण दर्ज कराने हेतु आवेदन किया, जिस पर हम अपीलान्ट्स ने सम्बन्धित दस्तावेजात की नकल प्राप्त की, जो कि नकल लेने के दिन मुजरा से, अपील हाजा मामूलन अन्दर अवधि पेश है । दफा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ संलग्न कर पेश किया जा रहा है। अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्ट फीस व तलबाना फीस चस्पा कर पेश है । यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टपूकडा का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित पारित किया गया है, जिससे हम अपीलान्ट्स को काफी हानि उठानी पडी है, जिसे रूपयों में नही आंका जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टपूकडा का आलोच्य आदेश नामांतकरण सं0 2387 प्रविष्टि दिनांक 17-06-2024 दर्ज व स्वीकार दिनांक 28-08-2024 की डिजीटल प्रति संलग्न अपील है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम खिदरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान) में स्थित आराजी खसरा सं. 365 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.23 हैक्टेयर, रकबा 370 0.21 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 1-1000 हैक्टेयर का 1/6 भाग, आराजी खसरा सं. 364 रकबा 0.0300 हैक्टेयर का 1/12 भाग, आराजी खसरा सं. 375 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.84 हैक्टेयर 543 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 544 रकबा 0. 22 हैक्टेयर 547 रकबा 0.43 हैक्टेयर 548 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 553 रकबा 0.26 हैक्टेयर किता 7 कुल रकबा 2.8500 हैक्टेयर का 1/12 हिस्सा, आराजी खसरा सं. 362 रकबा 0.76 हैक्टेयर, 363 रकबा 0. 81 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.5700 हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा, आराजी खसरा सं. 390/1048 रकबा 0.4400 हैक्टेयर का 1/12 हिस्सा, आराजी खसरा सं. 355 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 371 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.34 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.1200 हैक्टेयर का 1/48 हिस्सा एवं आराजी खसरा सं. 1305/399 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 1306/399 रकबा 0.4100 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0-5100 हैक्टेयर का 1/12 हिस्सा आराजीयात हम अपीलान्ट्स के पति/पिता व रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 5 के दादा/ससुर श्री मातादीन पुत्र भीवा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मातादीन पुत्र भीवा का स्वर्गवास दिनांक 12-04-2021 को हो चुका है, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न अपील है।

हम अपीलान्ट्स के पति/पिता स्व. मातादीन पुत्र भीवा का सजरा–ए–खानदान निम्न है :–

मातादीन पुत्र भीवा (मृतक)

कमला (पत्नी)	रोशनी (पुत्री)	नानकचन्द (पुत्र)	सुन्दरलाल(मृतक) (पुत्र)	राजेश (पुत्र)	बाबूलाल (पुत्र)

सुन्दरलाल (मृतक) के वारिसान:

सुमन (पत्नी)	मनजीत (पुत्र)	पायल (पुत्र)	हितेश (पुत्र)

रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 का पिता सुन्दरलाल, जो कि अपीलान्ट्स के पति/पिता मातादीन का सगा पुत्र था, जिसकी मृत्यु मातादीन पुत्र भीवा की मृत्यु से पूर्व ही दिनांक 01-09-2009 को हो गई थी। मातादीन पुत्र भीवा, जो कि रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 5 दादा/ससुर था। अपीलान्ट्स के पति/पिता मातादीन पुत्र भीवा की मृत्यु हो जाने के उपरान्त हम अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 5 को वाके ग्राम खिदरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान) में स्थित

आराजी खसरा सं. 365 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 370 रकबा 0.21 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर का 1/6 भाग, आराजी खसरा सं. 364 रकबा 0-0300 हैक्टेयर का 1/12 भाग, आराजी खसरा सं. 375 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.84 हैक्टेयर 543 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 544 रकबा 0.22 हैक्टेयर 547 रकबा 0.43 हैक्टेयर 548 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 553 रकबा 0.26 हैक्टेयर किता 7 कुल रकबा 2.8500 हैक्टेयर का 1/12 हिस्सा, आराजी खसरा सं. 362 रकबा 0.76 हैक्टेयर, 363 रकबा 0.81 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.5700 हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा, आराजी खसरा सं. 390/1048 रकबा 0.4400 हैक्टेयर का 1/12 हिस्सा, जो मातादीन पुत्र भीवा के नाम थी, उनकी विरासत में जरिये विरासत इंतकाल सं. 2387 उनकी विरासत में प्राप्त हुई है तथा आराजी खसरा सं. 355 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 371 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 372 रकबा 0-34 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.1200 हैक्टेयर का 1/48 हिस्सा एवं आराजी खसरा सं. 1305/399 रकबा 0 1000 हैक्टेयर, 1306/399 रकबा 0.4100 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.5100 हैक्टेयर का 1/12 हिस्सा, जो मातादीन पुत्र भीवा के नाम दर्ज रिकोर्ड है, जो भी हम अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 5 को मातादीन की विरासत में प्राप्त होनी है। मुताबिक सजरा–ए–खानदान स्व. मातादीन पुत्र भीवा के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे अपीलान्ट्स प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 प्रत्येक का मृतक सुन्दरलाल पुत्र मातादीन के 1/6 हिस्से में से 1/4.1/4 हिस्सा निहित है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा मृतक मातादीन पुत्र भीवा की विरासत का इंतकाल सं. 2387 दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के नाम 1/6 हिस्सा में से 1/4. 1/4 हिस्सा दर्ज ना कर अपीलान्ट्स की भांति ही 1/6. 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध दर्ज व मंजूर कराया है एवं विधि विरूद्ध तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है, इसलिए असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 का उक्त आदेश गलत एवं विधि विरूद्ध है, जो काबिले अपास्त है। यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के साथ साजबाज होकर हम अपीलान्ट्स के आराजी में निहित हिस्से को खत्म करने की गरज से रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 5 के पक्ष में उक्त विवादित इंतकाल तहसीलदार टपूकडा द्वारा स्वीकार किया गया है, जो विधि एवं तथ्यो के विपरीत है तथा उक्त इंतकाल काबिले खारिज है । असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व राजस्व कर्मचारी (हल्का पटवारी) द्वारा विवादित इंतकाल सं. 2387 दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व हम अपीलान्ट्स को ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया तथा एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के पक्ष मे गलत रूप से उक्त इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया है, जो विधि विरूद्ध है, इसलिए उक्त इंतकाल सं. 2387 काबिले खारिज है। उक्त आराजी हम अपीलान्ट्स को अपने पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है, इसलिए कानूनन विवादित विरासत इंतकाल सं. 2387 में रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के नाम जो राजस्व रिकोर्ड में गलत रूप से अंकन किया गया है, जिससे हम अपीलान्ट्स के उक्त आराजीयात मे निहित हकूको पर कुठाराघात होता है। हम अपीलान्ट्स को उक्त आलोच्य इंतकाल सं. 2387 में रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के नाम गलत रूप से दर्ज हिस्से की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। हम अपीलान्ट्स ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड की डिजीटल जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 5 के नाम गलत रूप से हिस्सा दर्ज होने की जानकारी हुई, जिस पर हम अपीलान्ट्स ने वकील से कानूनी सलाह प्राप्त कर आज अपील अविलम्ब ही पेश की जा रही है तथा अपील के साथ दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।यह है कि हम अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 से दिनाक 18-11-2024 को स्व. मातादीन की विरासत इंतकाल सं. 2387 में उनके नाम दर्ज हुये गलत हिस्से को दुरूस्त कराये जाने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 ने साफ इन्कार कर दिया और दीगर जगह मुन्तकिल व बेचान करने की धमकी दी, इसलिए हम अपीलान्ट्स को अपील हाजा पेश करना अनिवार्य हुआ है। अन्य कानूनी एवं वाकेयात ऐतराजात वक्त बहस अर्ज श्रीमान किये जाने हेतू निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब कर संलग्न पत्रावली किया गया।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत अधारा कार्ड अपीलान्टान की फोटो प्रति प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम खिदरपुर खाता संख्या 238, 121, 467, 239, 240, 437, 439 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक सुन्दरलाल प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक मातादीन प्रदर्श–4, नामान्तकरण संख्या 2387 दिनांक 17.06.2024 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5 संलग्न किया गया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुताबित सजरा–ए–खानदान स्व. मातादीन पुत्र भीवा के नाम दर्ज अपील में वर्णित आराजीयात में अपीलान्टस प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायक 5 का प्रत्यके का मृतक सुन्दर लाल पुत्र मातादीन के 1/6 हिस्से में से प्रत्येक को 1/4 करना चाहिए था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार टपूकडा के द्वारा मृतक स्व. मातादीन के अन्य वारिसान के समान हि हिस्सा दर्ज कर दिया। अतः इंतकाल संख्या 2387 दिनांक 28.08.2024 को खारिज करने एवं विधिसम्मत पुनः सही प्रविष्टि करने हेतू तहसीलदार टपूकडा को आदेशित करने हेतू निवेदन किया। तथा मियाद अधिनियम कि धारा 5 पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक कि अवधी को कन्डोन कर अपील मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि हम रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायक 5 का मृतक सुन्दरलाल पुत्र मातादीन के 1/6 हिस्सें में से 1/4, 1/4 हिस्सा निहित था जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा सहबन से हम रेस्पोडेन्टान के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाता है तो हम रेस्पोडेन्टान 2 लगायक 5 को कोई आपत्ति नही है।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में देरी होने का कारण दर्शित किया है। अतः प्रार्थना पत्र पर नर्मी का रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिनांक से अपील दायर दिनांक तक कि अवधी को कन्डोन किया जाकर अपील मियाद शुमार कि जाती है। जहां तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है मृतक मातादीन पुत्र भीवा के पत्नी, पुत्र एवं पुत्री के नाम समान हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना चाहिए था एवं मृतक सुन्दर लाल पुत्र मातादिन का हिस्सा मृतक के वारिसान के नाम समान रूप से चढाया जाना था। जो अपीलान्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है एवं दुरूस्ती पर कोई आपत्ती जाहिर नही की है। अतः तहसीलदार टपूकडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 2387 दिनांक 28.08.2024 को पारित करने में कानूनी भूल की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टपूकडा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2387 दिनांक 28.08.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मृतक मातादीन पुत्र भीवा के वारिसान के नाम सही

प्रविष्टियों के साथ विधिसम्मत दर्ज करें। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09/10/2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाड़ी,खैरथल–तिजारा।